

अदालत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

राम करण

द्वारा

राम सिंह

मुकदमा

राधा लक्ष्मी

नं०

22/208

सन्

क्र सं	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2-9	<p>फतवली वकील द्वारा प्रापक वकालत वाफे किडा किये जाते का प्रतिलिपि फते पर पेय दुहा शिपल पर वाफे। वकील की मुता, वाफे प्रापक नही थलाग वाहल। किडा कलिया थलतो।</p> <p>अतः वाफे। वकील को वाफे किडा किये जाते की इतमती की जाती है प्रमाण वाफे द्वारा किडा किये जाते से कार्यवाही समाप्त की जाती है फतेल मुताल हाकल वाफे लक्ष्मी वकील वकालत</p>	<p>राम करण लक्ष्मी</p>

उप वरुड अधिकारी  
बांदीकुई (दोसा)

